मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—::—

क्रमांक 1942 /1133/2009/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 01/09/2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रेदश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय ।

विषयः—वित्तीय वर्ष 2014—2015 में बजट आबंटन की व्यवस्था ।
संदर्भः—इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक 445/आर 1133/2009/चार/ब—1, दिनांक 14/03/2012 एवं क्रमांक 1949/आर 1133/2009/चार/ब—1, दिनांक 05/11/2012

—000—

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14/03/2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 से कतिपय मदों में नवीन केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली प्रारंभ की गयी, जिसके तहत् उन मदों की राशि, केन्द्रीय सर्वर पर, समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए आहरण हेतु उपलब्ध रहती है । बजट नियंत्रण अधिकारियों को, इन मदों की राशि, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आबंटित करने की आवश्यकता नहीं होती है ।

2/ वित्त विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 05/11/2012 के द्वारा बजट मदों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में सम्मिलित करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को दिया गया जिससे वित्त विभाग द्वारा पूर्व से इस प्रणाली में शामिल मदों में कोई परिवर्तन न करते हुए, प्रशासकीय विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार बजट मदों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में शामिल कर सकें।

3/ केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली लागू करने का उद्देश्य यह था कि नियमित स्वरूप (entitlement based यथा छात्रवृत्ति, वेतन, आदि) के व्यय इस नवीन व्यवस्था में शामिल किये जायें ।

निरंतर...2.

4/ वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से उन मदों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिनमें बजट आबंटन की उपलब्धता देखकर बजट नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपनी वित्तीय अधिकार की सीमाओं का उपयोग करते हुए क्रय आदि का निर्णय लिया जाता है । सामान्यतः ऐसे मद ही केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में शामिल किये जाना चाहिए जो हक से संबंधित (entitlement based) हों एवं जिनमें भुगतान पूर्व निर्धारित entitlements के आधार पर किया जाता है (जैसे वेतन भत्ते इत्यादि) ।

अतः अनुरोध है कि कृपया ऐसे मद जिनमें प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के तहत बजट आबंटन की उपलब्धता देखकर आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा क्रय आदि की कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है, उन मदों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाये एवं अगर पूर्व से इस प्रकार के मदो को केन्द्रीयकृत प्रणाली में शामिल कर लिया गया है तो तत्काल प्रभाव से ऐसी मदों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जाये ।

(अजय नाथ) 27.9.2014
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1943
क्रमांक /1133/2009/ब–1/चार भोपाल, दिनांक01/09/2014

प्रतिलिपिः–

1 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय
8. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट 1/2 म0प्र0 ग्वालियर।

निरंतर...3.

9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0 भोपाल।
10. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
11. स्टाफ आफिसर/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
12. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
13. समस्त वित्तीय सलाहकार,
14. वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वित्त विभाग
15. समस्त बजट शाखाएं, वित्त विभाग
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन
17 समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शालाएं

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राजेश सिंह)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग